छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 233/2006</u>

श्री विश्वजीत मित्रा, एफ–8, पिंक सिटी, ढेबर कालोनी, न्यू गायत्री नगर, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	....	आवेदक

विरूद्ध

राष्ट्रीय विद्यालय समिति, बाल आश्रम परिसर, रायपुर (छ.ग.)	....	अनावेदक

:: आदेश ::

(24 अगस्त 2006)

श्री विश्वजीत मित्रा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षण समिति के द्वारा वांछित जानकारी प्रदान न करने के संबंध में आयोग को शिकायत प्रस्तुत की। आवेदक ने श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय एवं समिति द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं से संबंधित जानकारी चाही थी। आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ समिति को संबोधित आवेदन पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न की गई।

आयोग के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय समिति को नोटिस जारी किया गया तथा शिकायतकर्ता से समिति को अनुदान के मिलने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया। दिनांक 02.08.06 को शिकायतकर्ता ने प्रमाण प्रस्तुत किया। समिति की ओर से श्री एस.के. महोबिया उपस्थित हुए। दिनांक 08.08.06 को दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्को को सुना गया। अनावेदक का मुख्य तर्क यह है कि आवेदक के द्वारा समिति के द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं की जानकारी अलग–अलग चाही है तथा सभी जानकारियां समिति से चाही हैं तथा इस हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र आयोग के समक्ष मूल शिकायत के साथ प्रस्तुत किये हैं। समिति को शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है और न ही समिति शासन के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। संबंधित संस्थाओं का अभिलेख अलग–अलग संस्थाओं में उन संस्थाओं के प्रमुख एवं कर्मचारियों के द्वारा रखा जाता है। समिति के पास संबंधित संस्थाओं के अभिलेख रखने का दायित्व नहीं है। आवेदक का तर्क है कि समिति के द्वारा संचालित संस्थाओं को अनुदान मिलता है। अतः समिति जानकारी देने हेतु अधिनियम के अंतर्गत बाध्य है।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय, राष्ट्रीय उच्चतर विद्यालय में मानसेवी शिक्षकों, समिति के सदस्यों तथा बाल आश्रम से संबंधित एवं भवन निर्माण से संबंधित

जानकारियां मांगी हैं। आवेदक के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा नौंवी एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महाविद्यालय को प्राप्त अनुदान आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है, साथ ही राष्ट्रीय उच्चतर विद्यालय को प्राप्त अनुदान की भी प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। समिति की ओर से समिति के सचिव के द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि समिति को शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय उच्चतर महाविद्यालय तथा राष्ट्रीय प्राथमिक शाला को अनुदान संबंधित संस्थाओं के प्राचार्य के ही नाम से प्राप्त होता है तथा उसका लेखा भी संबंधित संस्था के लेखा में ही रखा जाता है। संबंधित संस्था के प्राचार्य ही उस अनुदान का उपयोग करने के लिए सक्षम है। संस्था को शासन से सीधे अथवा परोक्ष रूप से अनुदान प्राप्त नहीं होता। समिति के द्वारा यह भी जानकारी प्रस्तुत की गई कि श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति रविशंकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव के द्वारा ही की गई थी तथा इसके विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत होने पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया।

संस्था की ओर से संस्था के सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवेदक संबंधित महाविद्यालय, राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा प्राथमिक विद्यालय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो वे संबंधित संस्था के प्रमुख को आवदेन दे सकते हैं तथा उन्हें उक्त संस्था से जानकारी प्राप्त हो सकती है। समिति को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा पृथक–पृथक संस्थाओं से संबंधित जानकारी चाही गई हैं तथा कई संस्थाओं की जानकारी एक ही आवेदन पत्र में मांगी गई। चूंकि प्रत्येक संस्था पृथक–पृथक है तथा उनका अभिलेख भी पृथक–पृथक रखा जाता है अतः वही संस्था जानकारी दे सकती है जहां पर की संबंधित अभिलेख संधारण किया जाता हो। यह आपत्तिजनक है कि संबंधित संस्थाओं के द्वारा अभी तक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। संबंधित संस्थाऐं आदेश प्राप्ति के 7 दिन के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति करें तथा इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया जावे। चूंकि जानकारी से संबंधित अभिलेख संबंधित संस्थाओं के संरक्षण में है, अतः निर्देश दिये जाते हैं कि प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित संस्थाओं को भेजे जावें तथा संबंधित संस्थाऐं उन्हें प्राप्त आवेदन पत्र के अभिलेख हेतु निर्धारित फीस आवेदक को सूचित कर फीस जमा होने पर निर्धारित अवधि में आवेदक को अभिलेख प्रदान करें। जिन आवेदन पत्र में एक से अधिक संस्था की जानकारी चाही गई, आवेदक जिस संस्था की जानकारी चाहता है, उसका आवेदन पत्र पृथक से संबंधित संस्था को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि संबंधित संस्था के सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान नहीं की जाती है तो आवेदक पुनः विधिवत् सक्षम कार्यवाही कर सकते हैं।

उक्त निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त